

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 214, दिनांक: 04-09-2020

पुलिस मुठभेड़ व डकैती की घटना में विगत 02 वर्षों से फरार चल रहे जनपद अलीगढ़ से रू० 50,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी को एस०टी०एफ० ने जनपद मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार।

दिनांक 03-09-2020 को एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को जनपद अलीगढ़ से रू० 50,000/-के पुरस्कार घोषित तथा 02 वर्षों से निरन्तर फरार चले रहे अपराधी शेखू मियाँ उर्फ काला को जनपद-मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण:

शेखू मियाँ उर्फ काला पुत्र स्व० वाकिर उर्फ भीका उर्फ मोहम्मद मियाँ नि० चिनिया वाली मढ़िया सिरसी थाना-नकासा, सम्भल। हाल पता दानिशपुर डेरा थाना-दादौ, अलीगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान:-

दिनांक 03-09-2020, स्थान:-ग्राम सूजदू ईदगाह के पास थाना-कोतवाली मुजफ्फरनगर जनपद-मुजफ्फरनगर।

विगत कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ०, उ०प्र० लखनऊ द्वारा एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ फील्ड यूनिट बरेली द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

विगत 02 वर्ष से फरार चल रहे शेखू मियाँ उर्फ काला के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, बरेली द्वारा की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 03-09-2020 को मुखबिर खास से ज्ञात हुआ कि शेखू मियाँ उर्फ काला जो वांछित होने के कारण विगत 02 वर्षों से फरार चल रहा है तथा जिस पर जनपद अलीगढ़ से रू० 50,000/- का पुरस्कार घोषित है। वर्तमान में अपनी पहचान छिपाकर ग्राम सूजदू थाना-कोतवाली मुजफ्फरनगर जनपद-मुजफ्फरनगर में ईदगाह के पास डेरा बनाकर में रह रहा है, मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर निरीक्षक अजय पाल सिंह के नेतृत्व में मु०आ० मोअज्ज्म अली, आरक्षी जगवीर सिंह, आरक्षी दिनेश कुमार की एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर वांछित अपराधी शेखू मियाँ उर्फ काला पुत्र वाकिर उर्फ भीका उर्फ मोहम्मद मियाँ को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वर्ष 2018 में जनपद अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में मेरे पिता भीका, एहसान व सोहेल मारे गये थे तथा यह वहाँ से फरार हो गया था और इधर-उधर छिपता घूमता रहा और विभिन्न जनपदों में ईट भट्टों पर काम करने अपनी

जीविका चलाता था। बरसात का मौसम होने के कारण भट्टों पर काम बन्द है। इस लिये मुजफ्फरनगर में डेरा डालकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को थाना-कोतवाली मुजफ्फरनगर में दाखिल कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना दादौ, अलीगढ़ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 121/2018 धारा 147/148/149/307 भा०द०वि०, में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त शेखू मियाँ का ज्ञात अपराधिक इतिहास:

क्र०स०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	111/18	395/397 भा०द०वि०	सहावर	कासगंज
2	121/18	147/148/149/307 भा०द०वि०	दादौ	अलीगढ़
3	129/18	396 भा०द०वि०	अमापुर	कासगंज